न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 75 / 2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 ठाकराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवारी गोरसियों का तला, सरली तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 कुम्भाराम पुत्र जेताराम 2 सीमाराम पुत्र कुम्भाराम 3 नवलाराम पुत्र जेताराम 4 फतीदेवी पत्नी जेताराम जाति जाट निवासी गोरसियों का तला, सरली तहसील व जिला बाडमेर 5 शाखा प्रवन्धक एसवीवीजे शाखा कुड़ला 6 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीगण।

निर्णय

दिनांक 23.10.18

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण पूर्वज जेताराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गोरसियों का तला पटवार क्षैत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 08.04 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 25.18 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 23.16 बीघा, खसरा संख्या 228 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 230 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 239 रकवा 08.00 बीघा, खसरा संख्या 247 रकबा 30.12 बीघा कुल रकवा 130.02 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि ठाकराराम के दादा जेताराम के नाम से पैमाईश होकर खातेदारी में दर्ज हुई। जेताराम की फौतगी के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 04 का वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम के विधिक वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण ईकतरफा। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 20.07.2006 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा जन्म से निहित है। वादी अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गोरसियों का तला पटवार क्षैत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 08.04 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 25.18 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 23.16 बीघा, खसरा संख्या 228 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 230 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 239 रकबा 08.00 बीघा, खसरा संख्या 247 रकबा 30.12 बीघा कुल रकबा 130.02 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम का हिस्सा एसबीबीजे शाखा कुड़ला में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम के हिस्से की भूमि के रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.10.18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)   अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 ठाकराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी गोरसियों का तला, सरली तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 कुम्भाराम पुत्र जेताराम 2 सीमाराम पुत्र कुम्भाराम 3 नवलाराम पुत्र जेताराम 4 फतीदेवी पत्नी जेताराम जाति जाट निवासी गोरसियों का तला, सरली तहसील व जिला बाडमेर 5 शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा कुड़ला।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 75/2018
निर्णय दिनांक :–23.10.18.........

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या ...–.... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गोरसियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 134 रकबा 08.04 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 25.18 बीघा, खसरा संख्या 224 रकबा 23.16 बीघा, खसरा संख्या 228 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 230 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 239 रकबा 08.00 बीघा, खसरा संख्या 247 रकबा 30.12 बीघा कुल रकबा 130.02 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम का हिस्सा एसबीबीजे शाखा कुड़ला में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना प्रतिवादी संख्या 01 कुम्भाराम के हिस्से की भूमि के रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 23.10.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाडमेर

कलक्टर (SDO)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये प्र प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

F:\SDM Barmer\Lalit JI Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.12.05 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: